न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 146/2022

उनवान

आजाद खान पुत्र भंवर खान जाति काठात निवासी ग्राम पंचमता, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामलाल,
2. हरजी पुत्र उमा जाति लोहार नि. बनेवडा,
3. चौथू,
4. नारायण पुत्र बालू जाति गुर्जर, नि. बनेवडा,
5. मैना पत्नी शंकर जाति रावत, नि. जाटिया,
6. मैनेजर, एच.डी.एफ.सी शाखा नसीराबाद,
7. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय नसीराबाद,
8. राज.सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय नसीराबाद जिला

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 जरियें अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह
7 व 8 जर्यि राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 1.4.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा प0 म0 बाघसुरी के खाता संख्या 534/511 किता 5 रकबा 1.62, 125/253 किता 2 रकबा 0.97, 398/388 किता 3 रकबा 0.41 व खसरा नम्बर 1234/2745 रकबा 0.65 की आराजी वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का अलग–अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनपुस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से अधिवक्ता पूर्व में उपस्थित हुये। वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सह खातेदारी की है उसके द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में उद्घोषणा नही चाही गयी है। भूमि बैंक में रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जाहिर किया। प्रकरण में कोइ खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का हित प्रभावित नही होता है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम बनेवडा प0म0 बाघसूरी के खाता संख्या 534/511 किता 5 रकबा 1.62, 125/253 किता 2 रकबा 0.97, 398/388 किता 3 रकबा 0.41 व खसरा नम्बर 1234/2745 रकबा 0.65 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सहखातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

आजाद खान बनाम रामलाल वगै0

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 146 / 2022
पेश करने की दिनांक – 11.10.2022

यह मुकदमा आज **वास्ते इनफिनाल** कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत **मुददई अभिभाषक** कुलदीप सिंह, राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व **डिक्री** दी जाती है कि :–

ग्राम बनेवडा प0म0 बाघसूरी के खाता संख्या **534 / 511** किता 5 रकबा 1.62, 125 / 253 किता 2 रकबा 0.97, 398 / 388 किता 3 रकबा **0.41** व **खसरा नम्बर** 1234 / 2745 रकबा 0.65 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। **तहसीलदार नसीराबाद** वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सहखातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 04 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	मेहनताना वकील	/
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद